न्यायालय : विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो)–प्रथम/गैंगेस्टर अधिनियम, ज्ञानपुर–भदोही।

उपस्थित : लोकेश कुमार मिश्रा (एच.जे.एस.)

<u>जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–231/2026</u>

<u>UPSN010007072026</u>

आलिम उर्फ नन्हका उम्र 23 वर्ष पुत्र वकील निवासी वार्ड नम्बर 13 बाजार सरदार खां भदोही, थाना भदोही जिला भदोही।

. ...प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

. ...अभियोजन पक्ष।

अपराध संख्या–517 सन् 2025

धारा– 3(1)उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट

<u>थाना–भदोही , जनपद –भदोही</u>

<u>दिनांक –12.03.2026</u>

प्रार्थी/अभियुक्त आलिम उर्फ नन्हका की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र थाना–भदोही, जनपद भदोही, अपराध संख्या– 517 सन् 2025 अन्तर्गत धारा–3(1)उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपने जमानत प्रार्थनापत्र में यह कथऩ किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी /अभियुकत ने किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है और न ही विचाराधीन है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय में उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या व धारा में फर्जी झूठे तौर पर फंसाया गया है जो कि मनगढ़न्त है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध बसाजिश पुलिस द्वारा दुश्मनान के साजिश में आकर झूठे तौर पर गिरोहबन्द(गैंगेस्टर) एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के विरुद्ध पुलिस द्वारा मनमाने तौर पर गैंगचार्ट तैयार किया है, जिसकी कोई असलियत नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त न तो मोटरसाइकिल चोरी किया है, न तो मोबाइल की छिनैती किया है और न ही लूट का कोई अपराध कारित किया है और न ही अभ्यस्त अपराधी है। प्रार्थी/अभियुक्त भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत अध्याय 16 व 17 के अन्तर्गत कोई अपराध कारित नहीं किया है और न ही समाज विरोधी क्रियाकलाप में संलिप्त रहता है। प्रार्थी/अभियुक्त न किसी संगठित गैंग का सदस्य है और न ही किसी गैंग

के सदस्य को आर्थिक, भौतिक एवं अनुचित बुनियादी लाभ पहुंचाया है और न ही किसी प्रकार का साक्ष्य ही साबित है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध दर्शाये गये प्रथम सूचना रिपोर्ट व धाराओं में सम्बन्धित न्यायालयों में मुकदमा विचाराधीन है। वादी मुकदमा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उसकी आर्थिक व भौतिक लाभ का अर्जन व आय का स्रोत व उसके चल अचल सम्पत्ति का कोई ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह कहानी बिल्कुल बनावटी व झूठी व मनगढ़न्त है। प्रार्थी/अभियुक्त का आपराधिक इतिहास नहीं है, न ही किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त पिछले 6 महीने से शहर अहमदाबाद(गुजरात) में रहकर मजदूरी का काम करता है, जिससे अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता है। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी जमानत देने को तैयार है एवं उचित जमानत एवं मुचलके पर रिहा किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने तर्क प्रस्तुत किया कि गैंग चार्ट के अनुसार अभियुक्त आलिम उर्फ नन्हका दो अपराधों में संलिप्त है। इसका स्वच्छन्द रूप से विचरण करना समाज एवं लोकहित में हितकर नहीं है।

गैंग चार्ट के अनुसार अभियुक्त आलिम उर्फ नन्हका के विरुद्ध इस जनपद के थाना–भदोही जनपद–भदोही में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जो इस प्रकार से हैंः–

क्र०सं०	अपराध संख्या	धारा	थाना एवं जनपद
1.	140/2025	109(1), 3(5), 317(4)बी.एन.एस	भदोही, जनपद भदोही।
2.	158/2025	109(1), 317(4)बी.एन.एस व 3/25 आर्म्स एक्ट	भदोही, जनपद भदोही।

विद्वान विशेष लोक अभियोजन ने यह भी तर्क दिया कि अभियुक्त आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति है तथा गैंग बनाकर अपने व अपने गैंग के सदस्यों के आर्थिक, भौतिक एवं अनुचित दुनियाबी लाभ के लिए अपराध कारित करता है और इसका समाज में भय एवं आतंक व्याप्त है। अभियुक्त के विरुद्ध जो अभियोग पंजीकृत हुएं हैं, उनमें आरोप पत्र प्रेषित हो चुका है। गैंग के लीडर अतीक अहमद के साथ सहअभियुक्तगण आलीम उर्फ नन्हका, हारिस, अर्शअली, मकसूद का उपरोक्त कार्य धारा–3(1)उ०प्र० गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की परिधि में आता है और गैंग लीडर व सहअभियुक्तगण के साथ अभियुक्त मकसूद अहमद के विरुद्ध गैंग चार्ट तैयार कराकर जिला मजिस्ट्रेट भदोही से दिनांक – 12.11.2025 को अनुमोदित कराकर अभियोग पंजीकृत किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विशेष लोक अभियोजक गैंगेस्टर एक्ट को सुना गया तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा–19(4) निम्न प्रकार से है–

19(4)– *संहिता में किसी बात के होते हुए भी,इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन दण्डनीय अपराध से आरोपित किसी व्यक्ति को यदि वह अभिरक्षा में है, जमानत पर या उसके अपने बन्धपत्र पर तब तक नहीं छोड़ा जायेगा, जब तक कि–*

(क) लोक अभियोजक को ऐसे छोड़े जाने के आवेदन का विरोध करने का अवसर नहीं दिया जाता;और

(ख)जहाँ लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है,वहाँ न्यायालय का समाधान न हो जाये कि यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि यदि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह कि जमानत पर रहते समय उसके द्वारा कोई अपराध करने की सम्भावना नहीं है।

रामू उर्फ अरुण कुमार पाण्डेय बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश राज्य, क्रिमिनल मिस्लेनियस बेल अप्लीकेशन नम्बर 27052/2008 के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा–19(4)(ख) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत जमानत आवेदन पर सुनवाई करते समय न्यायालय को विश्वास करने का आधार होना चाहिए कि अभियुक्त उक्त अपराध का दोषी नहीं है, जैसा कि अभियुक्त द्वारा किया जाना कहा जा रहा है और जमानत पर छोड़े जाने की दशा में वह पुनः उक्त अपराध कारित नहीं करेगा।

प्रथम दृष्टया केश डायरी के अनुसार अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ गैंग के रूप में चोरी, छिनैती व लूट जैसे गंभीर अपराध कारित किये जाने का अभियोग दर्शित है जिसमें अभियुक्त की भूमिका गैंग के सदस्य के रूप में उक्त आपराधिक क्रियाकलाप में सहायता देने के रूप में प्रथम दृष्ट्या पत्रावली के अवलोकन से दर्शायी गयी है। अतः जो व्यक्ति गैंग के सदस्य के रूप में समाज विरोधी क्रिया कलाप को उत्प्रेरित करता है या प्रश्रय देता है या सहायता करता है। वह भी दायी होता है। इस प्रकार अभियुक्त की भूमिका अपराध में अन्य सहअभियुक्तगण के साथ दर्शित होती है, जिसके आधार पर गैंगेस्टर की कार्यवाही की गई। गैंगचार्ट के अनुसार अभियुक्त की अन्य सहअभियुक्तगण के साथ भूमिका बतायी गयी है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से कथन किया गया है कि आधारभूत मुकदमों में उसकी जमानत हो चुकी है किन्तु महत्वपूर्ण है कि आधारभूत मामले में जमानत हो जाने पर गैंगेस्टर के मामले में जमानत देने का आधार उत्पन्न नहीं होता है। इस मामले में अभियुक्त के साथ अन्य अभियुक्तगण के सम्बन्ध में लुटेरा गैंग नम्बर D–68/2025 जनपद स्तर पर पंजीकृत किया जाना दर्शित किया गया है। जमानत आवेदन पर सुनवाई करते समय साक्ष्य के गुण–दोषों पर विचार नहीं किया जाता है।

आपराधिक इतिहास में अभियुक्त के विरुद्ध गैंगचार्ट में दर्शित उपरोक्त दो मुकदमों के अलावा अन्य पांच मुकदमे दर्शित किये गये हैं, जो निम्नवत् हैंः–

क्र०सं०	अपराध संख्या	धारा	थाना एवं जनपद
1.	382/2022	392, 411 भा०दं०वि०	गोपीगंज , जनपद भदोही।
2.	02/2023	3(1)गैंगेस्टर एक्ट	दुर्गागंज, जनपद भदोही।
3.	74/2022	34/401/411 भा०दं०वि० व 3/25 आर्म्स एक्ट	दुर्गागंज, जनपद भदोही।
4.	330/22	392, 411 भा०दं०वि०	भदोही, जनपद भदोही।
5.	131/22	392, 411 भा०दं०वि०	भदोही, जनपद भदोही।

अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, अभियुक्त के विरुद्ध दर्शित आपराधिक कृत्य तथा अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का कोई न्यायोचित आधार प्रतीत नहीं होता है। तदानुसार अभियुक्त की और से उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त आलिम उर्फ नन्हका की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 517 सन् 2025 धारा– 3(1)उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट थाना– भदोही , जनपद –भदोही के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(लोकेश कुमार मिश्र)
विशेष अपर सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो–प्रथम/
गैंगेस्टर अधिनियम, भदोही ज्ञानपुर।

दिनांक–12.03.2026

Digitally signed by Lokesh Kumar Mishra
Date: 2026.03.31 16:00:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court